

# कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय

रोहट (जिला-पाली) 306401



क्रमांक/रामरो/2022/789

दिनांक:- 06.08.2022

## विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 1 ( ) विद्या संबल / आकाशि/ गै.फे. / दिशा निर्देश- 21/81 दिनांक 14.07.2022 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'विद्या संबल योजना के अन्तर्गत इतिहास विषय में पात्र व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से 'बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन मूल आवेदन, व्यक्तिशः या डाक द्वारा दिनांक 20.08.2022 सांयकाल 3:00 बजे तक ही महाविद्यालय कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो, वही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन कर सकेंगे। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। गेस्ट फैकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवाकर लिया जावेगा। इस हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट [http://hte.rajasthan.gov.in/ college/gcrohat](http://hte.rajasthan.gov.in/college/gcrohat) ( आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता शर्तों, शपथ पत्र आदि ) को देखें।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, रोहट, जिला-पाली 306401